

बिना इजाज़त बैंक ट्रांज़ैक्शन: कब आपको कुछ नहीं देना (RBI ज़ीरो लायबिलिटी नियम)

यह कब काम आता है

- कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से ऐसा पैसा कटा जो आपने मंजूर नहीं किया
- ऐसे ट्रांज़ैक्शन का SMS आया जो आपने नहीं किया
- बैंक कहता है कि ज़िम्मेदारी आपकी है

कदम-दर-कदम

1. तुरंत ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें

कार्ड या ऐप ब्लॉक करें और ट्रांज़ैक्शन की जानकारी के साथ बैंक को लिखित (ईमेल या ऐप) रिपोर्ट करें। रिपोर्ट की तारीख और समय नोट करें।

2. 3 कार्य दिवस में रिपोर्ट करें

ग़लती बैंक या किसी तीसरे पक्ष की हो और आप 3 कार्य दिवस में रिपोर्ट करें तो आपकी ज़िम्मेदारी शून्य है। 4 से 7 कार्य दिवस में रिपोर्ट करने पर यह तय रक़म तक सीमित है। उसके बाद बैंक की नीति पर निर्भर है।

3. क्रेडिट मांगें

रिपोर्ट के बाद बैंक को RBI की तय अवधि में रक़म वापस जमा करनी चाहिए। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन में ग्राहक संरक्षण के परिपत्र का हवाला दें।

4. आगे बढ़ें

बैंक मना करे या देर करे तो उसके शिकायत अधिकारी को लिखें, फिर cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल में मुफ़्त शिकायत करें। धोखाधड़ी की रिपोर्ट 1930 पर करें।

ज़रूरी बातें

- जल्दी रिपोर्ट करना सबसे अहम है
- OTP या PIN बताया हो तो बैंक नुक़सान आपका बता सकता है; सलाह लें
- हर अलर्ट और अपनी लिखित रिपोर्ट रखें

हेल्पलाइन: साइबर ठगी 1930 · उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 · महिलाएँ 181 · आपातकाल 112 · मुफ़्त कानूनी सहायता 15100

पूरा गाइड और मुफ़्त एक्शन प्लान: shikayat.co/hi/guides/unauthorised-bank-transaction-zero-liability · अपडेट 2026-10

सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं। Shikayat एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, लॉ फ़र्म नहीं।